indicating month, name of the item, Quantity, CIF value and source of import.

3. Steps taken so far to start production of these bulk drugs from basic stage.

3087. [*Transferred to the 17th July, 1992*].

**गोरखपुर उर्वरक कारखाने का पुनः चालू किया जाना**

3088. **श्री राम नरेश यादव :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोरखपुर उर्वरक कारखाने को पुनः चालू करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या गोरखपुर उर्वरक कारखाने का मामला औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को भेजा गया है यदि हां, तो कब और क्या औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने कोई निर्णय किया है ; और

(ग) जून, 1990 से लेकर आज तक फैक्टरी को लगभग कितना घाटा हुआ है ?

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्ता मोहन) :** (क) फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया (एफ सी आई०) के गोरखपुर संयंत्र को 10-6-1990 को संयंत्र में एक दुर्घटना के परिणामस्वरूप बन्द कर दिया गया । संयंत्र का विस्तृत स्वास्थ्य सर्वेक्षण कराया गया है और उस पर एफ सी आई बोर्ड की सिफारिशों के साथ रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो चुकी है । एफ सी आई ने अपनी सिफारिश में गोरखपुर में वर्तमान संयंत्र स्थल पर 837 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 900 टन प्रतिदिन अमोनिया और 1500 टन प्रतिदिन यूरिया की क्षमता वाले नेफ्था पर आधारित एक नये संयंत्र की स्थापित करने की अधिमान्यता दी है । सरकार इस मामले में शीघ्र निर्णय लेने के लिये सभी संभव उपाय करेगी ।

(ख) बीमार औद्योगिक कम्पनिया (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अध्यधीन एफ सी आई ने 20-4-1992 को सम्पूर्ण कम्पनी का मामला बी आई एफ आर के सुपुर्द किया है । अभी तक बी आई एफ आर द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ग) गोरखपुर एकक के जून, 1990 में बन्द होने से एकक द्वारा उठायी गयी अनुमानित हानि अनमानित रूप से 85 करोड़ रुपये है ।

**गोरखपुर उर्वरक कारखाने के संबंध में विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें**

3089. **श्री राम नरेश यादव :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोरखपुर उर्वरक कारखाने के कार्यकरण के संबंध में विशेषज्ञ समिति की मुख्य सिफारिशें क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उन सिफारिशों की समीक्षा की है ; और

(ग) इस कारखाने को पुनः कब तक चालू किये जाने की संभावना है?

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्ता मोहन) :** (क) फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया लि० (एफ सी आई) के गोरखपुर एकक के कार्यकरण के संदर्भ में कोई विशेषज्ञ समिति गठित नहीं की गयी थी । संभवतः माननीय सदस्य गोरखपुर संयंत्र के स्वास्थ्य सर्वेक्षण के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिसे स्पीक – एस एम ओ, फीडो और पी डी आई एल जैसे विशेषज्ञ अभिकरणों के माध्यम से कराया गया । स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर मेसर्स पी डी आई एल और मेसर्स फीडो ने निम्न-लिखित सुझाव दिये हैं:-

(1) 50 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर गोरखपुर संयंत्र को फिर से चालू करना ।